अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्वाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **न्यायालय उपायुक्त, राँची।**<br>दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं० 34 आर० 15/2024–25<br>लक्ष्मी देवी पति श्री धर्मदेव राम, निवासी ग्राम कठहल मोड़, थाना–रातु, जिला राँची ..... पुनरीक्षणकर्त्ता<br>बनाम<br>राज्य .... विपक्षी<br>आदेश<br>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद Bihar/Jharkhand Tenant's Holding (Maintenance of Record) Act, 1973 की धारा 16 के तहत्त उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 30 आर० 15/2015–16 मे दिनांक 02.07.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार ने पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा दायर उपरोक्त दाखिल खारिज अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए विद्वान अंचल अधिकारी, रातु द्वारा दाखिल खारिज वाद सं० 176 आर० 27/2012–13 मे दिनांक 09.06.2012 को पारित आदेश को बहाल रखा, जिसके द्वारा विद्वान अंचल अधिकारी, रातु ने पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा मौजा–बिजुलिया, थाना सं०–97, जिला राँची के खाता सं०–63, प्लॉट सं०–805 रकबा 1.71 एकड़ भूमि का नामान्तरण हेतु दायर आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है। | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार – मौजा बिजुलिया, थाना–रातू, जिला राँची के खाता सं० 63, प्लॉट सं० 805 रकबा 1 एकड़ 71 डी० भूमि आर०एस० खतियान के अनुसार गनपत धोबी के नाम से कायमी दर्ज है। गणपत धोबी अपने पीछे एकमात्र पुत्र राम चरण बैठा को छोड़कर स्वर्गवास हो गये, जिसपर वे अपने जीवन काल तक शांतिपूर्ण रूप से दखलकार रहे। रामचरण बैठा भी अपने पीछे एकमात्र पुत्र अकलु बैठा को छोड़कर स्वर्गवास हो गये।<br>उक्त अकलु बैठा ने उपरोक्त 1 एकड़ 71 डी० भूमि में से क्रमशः 50 डी० एवं 50 डी० भूमि अर्थात कुल एक एकड़ भूमि को दो निबंधित विक्रय विलेख सं० 15801 एवं 15802 दिनांक–07.11.2006 क्रमशः के द्वारा रजिदा खातून को हस्तांतरित कर दिया तथा शेष 71 डी० भूमि को निबंधित विक्रय विलेख सं० 15803 दिनांक 07.11.2006 के द्वारा कमरूल हक को हस्तांतरित कर दिया।<br>उपरोक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, रातु के द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या क्रमशः–77 आर० 27/ 2007–08, 78 आर० 27/2007–08 एवं 79 आर० 27/2007–08 मे पारित आदेश के आलोक मे पंजी II के भाग सं० II पृष्ठ सं० 139 तथा भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 59 पर क्रेता रजिदा खातुन एवं कमरूल हक के नाम से जमाबंदी दर्ज है।<br>रजिदा खातून और कमरूल हक ने विक्रय विलेख सं०–3388. दिनाक–27.02.2008 के द्वारा मौजा–बिजुलिया, थाना सं०–97, जिला राँची के खाता सं० –63, प्लॉट सं० –805 रकबा 1.71 | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | एकड़ प्रश्नगत भूमि को नितिन कुमार सर्राफ पिता बनवारी लाल सर्राफ को हस्तांतरित कर दिया। तत्पश्चात् उपरोक्त भूमि का नामान्तरण नितिन कुमार सर्राफ के नाम से दाखिल–खारिज वाद सं०–251 आर० 27/2007–08 मे पारित आदेश के द्वारा स्वीकृत हुआ।<br><br>नितिन कुमार सर्राफ पिता बनवारी लाल सर्राफ ने अंततः मौजा–बिजुलिया, थाना सं०–97, जिला राँची के खाता सं०–63, प्लॉट सं०–805 रकबा 1.71 एकड़ प्रश्नगत भूमि को विक्रय विलेख सं०–6575. दिनांक–25.05.2012 के द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता श्रीमती लक्ष्मी देवी, पति–धर्मदेव राम के पक्ष मे हस्तांतरित कर दिया।<br><br>किसी भी भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने की मुख्य बिन्दु आवेदक का आवेदित भूमि पर दखल–कब्जा होता है तथा वर्त्तमान मे प्रश्नगत भूमि पर पुनरीक्षणकर्त्ता को दखल प्राप्त है। जमाबंदी संधारण के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जे० एल०जे०आर० 2002 (1) 616 मे प्राकशित न्याय निर्णय के अनुसारः– *Jamabandi does not create any right, title in favour of one another. It merely allowed a person to get his name entered in Register II for purpose of payment of rent. It is always open to competent authority to determine as to whether the name should be entered in Register II or not taking into consideration of the factual possession of the land in question.* | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख-के साथ। |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| | उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। मौजा–बिजुलिया, थाना सं०–97, जिला राँची के खाता सं० 63, प्लॉट सं० 805 रकबा 1.71 एकड प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी दाखिल–खारिज वाद संख्या क्रमशः–77 आर० 27/2007–08, 78 आर० 27/2007–08 एवं 79 आर० 27/2007–08 मे पारित आदेश के आलोक मे पंजी II के भाग सं० II पृष्ठ सं० 139 तथा भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 59 पर रजिदा खातुन एवं कमरूल हक के नाम से कायम हुआ तथा तत्पश्चात् उनके द्वारा निबंधित पट्टे के द्वारा हुए प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण के आधार पर उपरोक्त भूमि की जमाबंदी नितिन कुमार सर्राफ के नाम से दाखिल–खारिज वाद सं०–251 आर० 27/2007–08 मे पारित आदेश के आलोक मे कायम हुआ। पुनरीक्षणकर्त्ता ने प्रश्नगत भूमि पंजी II रैयत नितिन कुमार सर्राफ से निबंधित पट्टे के माध्यम से प्राप्त किया है। जमाबंदी संधारण के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जे०एल०जे०आर० 2002 (1) 616 मे प्रकाशित न्याय निर्णय के अनुसारः–<br><br>*Jamabandi does not create any right, title in favour of one another. It merely allowed a person to get his name entered in Register II for purpose of payment of rent. It is always open to competent authority to determine as to whether the name should be entered in Register II or not taking into consideration of the factual possession of the land in question .*<br>18/10/2023 | |

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | यह स्वीकृत तथ्य है कि पुनरीक्षणकर्त्ता ने प्रश्नगत भूमि पंजी II रैयत नितिन कुमार सर्राफ के द्वारा निष्पादित निबंधित पट्टे के माध्यम से प्राप्त किया है तथा पुनरीक्षणकत्ता के प्रश्नगत भूमि पर उनके दखल को विद्वान निम्न न्यायालय के द्वारा नकारा नही गया है।<br>उपरोक्त वर्णित तथ्यों पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दावा संधारणीय प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद स्वीकृत किया जाता है तथा उप–समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 30 आर० 15/2015–16 मे दिनांक 02.07.2024 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।<br>इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br>उपायुक्त,<br>राँची।<br><br>उपायुक्त<br>राँची। | |

Digitally signed by Manjunath h Bhajantri
Date: 2025.11.06 00:34:39 -08:00
Location: 192.168.1.4